

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची

पत्रांक :- वि०प्रा०योजना-54/11 पार्ट-2 - 13/बजट /राँची, दिनांक- 19/10/2022

प्रेषक,

अभय कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवामें,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर/दुमका/राँची/खुटरी/कोडरमा/खरसावाँ
/भागा/धनबाद/निरसा/लातेहार/सिमडेगा/जगन्नाथपुर/साहेबगंज
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, राँची/दुमका/जमशेदपुर/बोकारो, झारखंड।

विषय :- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण/स्थापना आदि/संविदा के आधार पर रखे गये कर्मियों के वेतन भुगतान एवं अन्य मदों में व्यय हेतु कुल ₹0 7,98,37,354/- (₹0 सात करोड़ अठानबे लाख सैंतीस हजार तीन सौ चौवन) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-245/बजट दिनांक-30.03.2022 तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 03/योजना दिनांक 10.05.2022 एवं 12/योजना दिनांक 06.10.2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में संबंधित शीर्षों में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु निम्न विवरणी के अनुसार कुल ₹0 7,98,37,354/- (₹0 सात करोड़ अठानबे लाख सैंतीस हजार तीन सौ चौवन) मात्र की आवंटन की स्वीकृति परिशिष्ट-‘क’ एवं ‘ख’ के अनुसार प्रदान किया जाता है।

- उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा/लघु शीर्ष-105-बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय-उप शीर्ष-44-राजकीय पोलिटेकनिकों/खनन संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) के विभिन्न विस्तृत शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंधित राशि ₹0 22,52,31,000/- (₹0 बाईस करोड़ बावन लाख एकतीस हजार) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-44-राजकीय पोलिटेकनिकों/खनन संस्थानों का सुदृढ़ीकरण (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) के विभिन्न विस्तृत शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंधित राशि ₹0 3,55,00,000/- (₹0 तीन करोड़ पचपन लाख) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाब देही होगी।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
- यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड 0025 है।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/विभाग द्वारा नामित पदाधिकारी होंगे।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेंगे।
10. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित्त विभाग के आदेश ज्ञापांक- 245/वि० दिनांक-30.03.2022 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।
11. वेतन ईकाई में दी जा रही कुल राशि में 1,07,31,000/- मात्र की राशि वित्त विभाग के पत्रांक 432/बजट दिनांक 08.08.2022 के द्वारा प्रथम अनुपूरक से प्राप्त है।
12. राशि की निकासी जिला कोषागार, राँची/दुमका/बोकारो/जमशेदपुर/कोडरमा/सरायकेला/धनबाद/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/उप कोषागार, तेनुघाट से की जायेगी।
13. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) को होगा।
14. प्रस्ताव पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
16. व्यय विवरणी, टी०भी०नं०, सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अभय कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-वि०प्रा०योजना-54/11 पार्ट-2-13/बजट

/राँची, दिनांक- 19/10/2022

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/दुमका/बोकारो/जमशेदपुर/कोडरमा/सरायकेला/धनबाद/लातेहार/साहेबगंज/सिमडेगा/चाईबासा/उप कोषागार, तेनुघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-वि०प्रा०योजना-54/11 पार्ट-2-13/बजट

/राँची, दिनांक- 19/10/2022

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/बजट पदाधिकारी/सहायक निदेशक-II को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवीन्द्र प्र० बर्णवाल)
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

(मनोहर आलम)
अवर सचिव

सरकार के संयुक्त सचिव